<u>न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू</u>

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 135/2022

धर्मपाल पुत्र श्री मोहनलाल, जाति मीना, निवासी ग्राम इस्लामपुर, तहसील व जिला झंझुनूं।

—— आवेदक

बनाम

श्री शैलेष खैरवा, आर0ए0एस0 हाल उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।

—— अनावेदक

— — —

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण अ0 धारा 235 आर0टी0 एक्ट 1955 बाबत दावा संख्या 87/2021 उनवानी अर्जुन वगैरह बनाम धर्मपाल वगैरह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं तारीख पेशी 27.04.2022

— — —

उपस्थितः—

1. श्री सुरेन्द्र कुमावत, अभिभाषक — आवेदक की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक — अनावेदक की ओर से।

<u>आदेश</u>

दिनांक 09.05.2022

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र निम्नलिखित आधारों पर पेश है कि दावा उनवानी अर्जुन वगैरह बनाम धर्मपाल वगैरह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं तारीख पेशी 27.04.2022 श्रीमान उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं की अदालत में लम्बित है। उपरोक्त उनवानी विचाराधीन प्रकरण के आवेदकगण व अनावेदकगण के आपस में फौजदारी प्रकरण भी दर्ज है। प्रकरण के आवेदकगण द्वारा प्रकरण के अनावेदक व अन्य विरूद्ध फौजदारी प्रकरण दर्ज करवाकर जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्ट्रेट परिसर के आगे आमरण अनशन व धरना प्रदर्शन फौजदारी प्रकरण में कार्यवाही चाहने व मौजूदा प्रकरण का निर्णय आवेदकगण के हक में शीघ्र करने के लिये किया गया था। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय द्वारा आमरण अनशनकर्ता व धरनार्थियो के साथ समझौता वार्ता कर धरना प्रदर्शन समाप्त करवाने के लिए विपक्षी उपखण्ड मजिस्ट्रेट झुंझुनूं के पीठासीन अधिकारी श्री शैलेष खैरवा को समझौता वार्ता के लिये प्रशासन समझौता व सुलह कमेटी का प्रभारी व मुख्य अधिकारी नियुक्त किया गया था। प्रभारी मुख्य अधिकारी समझौता कमेटी के श्री शैलेष खैरवा के द्वारा अनशनकर्ता धरनार्थी (प्रकरण में आवेदकगण) के साथ समझौता वार्ता में प्रकरण के आवेदकगण की गैरकानूनी मांगों को स्वीकार किया जाकर अनशन व धरना समाप्त करवाया था। श्रीमान उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं श्री शैलेष खैरवा द्वारा समझौता वार्ता में मौजूदा प्रकरण का प्रकरण के आवेदकगण के हक में शीघ्र [illegible] कर रास्ता दिलवाये जाने की शर्त को स्वीकार किये जाने की जानकारी प्रार्थी/आवेदक को [illegible] मीडिया समाचार पत्रों से प्राप्त हुई। वर्तमान में आवेदक/प्रार्थी जिला जेल झुंझुनूं में न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रार्थी की ओर से मौजूदा प्रकरण में अधिवक्ता नियुक्त कर रखा है। मौजूदा प्रकरण में प्रार्थी की ओर से नियुक्त अधिवक्ता द्वारा प्रकरण की जानकारी चाहने पर जानकारी की गई कि प्रकरण में पीठासीन अधिकारी द्वारा नियमित रूप से छोटी—छोटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.19 12:12:14 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

तारीख पेशीयां दी जा रही है व प्रकरण को हाई लाईट प्रकरण बताया जाकर प्रकरण में शीघ्र निर्णय करने की जानकारी दी गई हैं। प्रार्थी के जेल में रहने से मौजूदा प्रकरण में राजस्व रिकॉर्ड की नकलें व अन्य दस्तावेजात् व साक्ष्य जो प्रार्थी/आवेदक द्वारा मौजूदा अधिवक्ता को शीघ्र उपलब्ध कराया जाना सम्भव नही है। विपक्षी द्वारा प्रकरण को विशेष प्रकरण कथित कर अनियमित रूप से कार्यवाहियां की जा रही है। प्रकरण में प्रार्थी/आवेदक की जबाबदेही भी बन्द कर दी गई है। प्रार्थना पत्र में वर्णित उपरोक्त तथ्यों से पूर्णतः आभास हो रहा है व पूरी सम्भावना है कि मौजूदा प्रकरण में प्रार्थी/आवेदक को बचाव के लिये समुचित अवसर व बचाव का समय नही दिया जावे व मौजूदा प्रकरण में पीठासीन अधिकारी का समझौता प्रभावी होने के कारण न्यायोचित रूप निर्णय होने की कोई सम्भावना नही है। प्रार्थी/आवेदक को अदालत उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं के पीठासीन अधिकारी से न्याय की कोई उम्मीद नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र में वर्णित कारणों से मौजूदा प्रकरण को अन्तरण करने का प्रार्थना पत्र पेश करने का वादकारण पैदा हुआ है। मौजूदा प्रकरण में दावा के वादीगण व प्रतिवादीगण पर मौजूदा प्रार्थना पत्र में कोई आरोप प्रत्यारोप आवेदक द्वारा नही लगाये जाने से आवश्यक पक्षकार नही बनाया गया है। अतः दरख्वास्त स्थानान्तरण मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर दावा उनवानी अर्जुन वगैरह बनाम धर्मपाल वगैरह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं तारीख पेशी 27.04.2022 श्रीमान उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं को नियमित सुनवाई हेतु अन्य किसी उपखण्ड अधिकारी की अदालत में अन्तरण किये जाने का आदेश दिया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं से वस्तुस्थिति का तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगवाया गया तथा अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं ने पत्रांक 275 दिनांक 02.05.2022 द्वारा बिन्दूवार तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रार्थना पत्र की बिन्दू सं0 1 दर्ज अनुसार स्वीकार है। बिन्दू सं0 2, 4, 7, 9 लगायत 13 कानूनी है। बिन्दू सं0 3, 5, व 6 मनगढन्त व निराधार है। बिन्दूवार जांच रिपोर्ट प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त उनवानी प्रकरण को किसी अन्य सक्षम न्यायालय मे स्थानान्तरित किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अभिभाषक ने दौरान बहस प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि उपरोक्त उनवानी विचाराधीन प्रकरण के आवेदकगण व अनावेदकगण के आपस में फौजदारी प्रकरण भी दर्ज है। प्रकरण के आवेदकगण द्वारा प्रकरण के अनावेदक व अन्य विरूद्ध फौजदारी प्रकरण दर्ज करवाकर जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्ट्रेट परिसर के आगे आमरण अनशन व धरना प्रदर्शन फौजदारी प्रकरण में कार्यवाही चाहने व मौजूदा प्रकरण का निर्णय आवेदकगण के हक में शीघ्र करने के लिये किया गया था। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय द्वारा आमरण अनशनकर्ता व धरनार्थियो के साथ समझौता वार्ता कर धरना प्रदर्शन समाप्त करवाने के लिए विपक्षी उपखण्ड मजिस्ट्रेट झुंझुनूं के पीठासीन अधिकारी श्री शैलेष खैरवा को समझौता वार्ता के लिये प्रशासन समझौता व सुलह कमेटी का प्रभारी व मुख्य अधिकारी नियुक्त किया गया था। प्र[illegible] अधिकारी समझौता कमेटी के श्री शैलेष खैरवा के द्वारा अनशनकर्ता धरनार्थी [illegible] के साथ समझौता वार्ता में प्रकरण के आवेदकगण की गैरकानूनी मांगो की शर्तो को स्वीकार कि[illegible]कर अनशन व धरना समाप्त करवाया था। श्रीमान उपखण्ड मजिस्ट्रेट झुंझुनूं श्री शैलेष खैरवा द्वारा समझौता वार्ता में मौजूदा प्रकण का प्रकरण के आवेदकगण के हक में शीघ्र निर्णय कर रास्ता दिलवाये जा[illegible] की शर्त को स्वीकार किये जाने की जानकारी प्रार्थी/आवेदक को जरिये मीडिया समाचार पत्रों से प्राप्त हुई थी। वर्तमान में आवेदक/प्रार्थी जिला जेल झुंझुनूं में न्यायिक अभिरक्षा मे हैं। प्रकरण में प्रार्थी/आवेदक की जबाबदेही भी बन्द कर दी गई है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.19 12:12:14 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर दावा उनवानी अर्जुन वगैरह बनाम धर्मपाल वगैरह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं तारीख पेशी 27.04.2022 श्रीमान उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं को नियमित सुनवाई हेतु अन्य किसी उपखण्ड अधिकारी की अदालत में अन्तरण किये जाने का आदेश दिया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी द्वारा अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी पर लागये गये आरोप निराधार है। मुदकमा स्थानान्तरण का युक्तियक्त कारण प्रार्थना पत्र मे नही बताया गया है। अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया। राजकीय अभिभाषक का बहस के दौरान यह कथन उचित है कि प्रार्थी द्वारा अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी पर लागये गये आरोप निराधार है एवं मुदकमा स्थानान्तरण का युक्तियक्त कारण प्रार्थना पत्र मे नही बताया गया है। इस तथ्य को ध्यान मे रखते हुए प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 09.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.19 12:12:14 IST
Reason: SelfAttested